रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1528] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 30, 2017/ज्येष्ठ 9, 1939
No. 1528] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 30, 2017/ JYAISTHA 9, 1939

वस्त्र मंत्रालय
(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

कोलकाता, 23 मई, 2017

का.आ. 1724(अ).—पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड 4(2) के अनुसरण में और दिनांक 22.12.2016 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 4158 (ई) के अधिक्रमण में पटसन आयुक्त एतद्वारा पटसन एवं पटसन वस्त्रों के सभी विनिर्माताओं, आयातकों, प्रोसेसर्स, व्यापारियों को निदेश देते हैं कि वे नीचे दी गई तालिका के कालम (2) में उल्लिखित पटसन एवं पटसन वस्त्रों की मदों पर कालम (3) में विनिर्दिष्ट तदनुरूपी शब्दों को मार्क करें/मुद्रित करें/ब्रांड करें :-

तालिका

क्र. सं.	पटसन वस्त्रों का विवरण	मार्क/मुद्रित/ब्रांड किए जाने वाले शब्द
(1)	(2)	(3)
1.	भारतीय पटसन से पूरी तरह से विनिर्मित प्रत्येक बैग	(क) प्रत्येक बैग पर ''भारत में विनिर्मित''
2.	भारतीय पटसन से पूरी तरह से विनिर्मित भारतीय पटसन उत्पादों की पैक की हुई प्रत्येक गांठ	(क) गांठ की पैक शीट पर ''भारत में विनिर्मित'' और विनिर्माता का नाम
3.	प्रत्येक आयातित पटसन बैग	(क) ''मूल देश .... में निर्मित बैग'' (ख) 25 इंच से कम चौड़ाई और 40 इंच से कम लंबाई वाले बैगों पर ''खाद्यान्नों और चीनी की पैकिंग के लिए प्रयोग नहीं किया जाना है'।
4.	बोरा बनाने के लिए आयातित पटसन क्लॉथ (कट या रोल के रूप में)	(क) क्लॉथ में प्रत्येक छ: फीट पर ''मूल देश .... में निर्मित''
5.	कच्ची पटसन या पटसन उत्पादों की प्रत्येक आयातित पैक की हुई गांठ	(क) ''मूल देश में बना'' (ख) (i) **कच्ची पटसन:** ''खाद्यान्नों और चीनी की पैकिंग के

		लिए पटसन उत्पादों के विनिर्माण के लिए प्रयोग नहीं किया जाना है" (ii) **पटसन उत्पाद:** "खाद्यान्नों और चीनी की पैकिंग के लिए प्रयोग नहीं किया जाना है।" (ग) आयातक का नाम और पता
6.	आयातित पटसन यार्न	(क) "मूल देश में बना" (ख) कवर के बाहर आयातक का नाम और पता

पटसन आयुक्त, पटसन एवं पटसन वस्त्रों के सभी आयातकों को यह भी निदेश देते हैं कि वे निम्नलिखित नियमों को पालन करें :-

(क) मुद्रण अमिट स्याही से किया जाएगा और पूरी मार्किंग/प्रिंटिंग/ब्रांडिंग कम से कम 2 इंच प्रति अक्षर के आकार में होगी।

(ख) 25 इंच से कम चौड़ाई वाले प्रत्येक आयातित सैकिंग पटसन बैग या क्लॉथ में किनारे से लगभग 15 से.मी. की दूरी पर लाल धागे से लगातार चार बार वार्पिंग और किनारे से 30 से.मी. की दूरी पर हरे धागे से लगातार चार बार वार्पिंग होनी चाहिए।

उक्त आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा और अगले आदेश तक वैध रहेगा।

[फा.सं. पटसन (विपणन)/160/80-III]

ए. मधुकुमार रेड्डी, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(Office Of The Jute Commissioner)

NOTIFICATION

Kolkata, the 23rd May, 2017

S.O. 1724(E).—Pursuant to Clause 4(2) of the Jute and Jute Textiles Control Order 2016 and in supersession of Notification No. S.O. 4158 (E) dated 22-12-2016 published in the Gazette of India, the Jute Commissioner hereby directs all the manufacturers, importers, processors, traders of jute and jute textiles to mark / print / brand the items of jute and jute textiles mentioned in Column (2) of the table below with the corresponding words specified in the Column (3):-

TABLE

Sl. No.	Description of Jute Textiles	Words to be marked/printed/branded
(1)	(2)	(3)
1.	Every bag manufactured fully from Indian jute.	(a) "Manufactured in India" on the body of the bag.
2.	Every packed bale of Indian jute products manufactured fully from Indian jute.	(a) "Manufactured in India" and name of the manufacturer on the pack sheet of the bale.
3.	Every imported jute bag	(a) "Bag made in – Country of Origin" (b) "Not to be used for packing foodgrains and sugar" on the body of the bag of below 25 inches in width and 40 inches in length.
4.	Imported sacking jute cloth(in cut or roll form)	(a) "Cloth made in – Country of Origin" every six feet on the cloth
5.	Every imported packed bale containing raw jute or jute products	(a) "Made in Country of Origin" (b) **(i) Raw Jute:** "Not to be used for manufacture of jute products for packing foodgrains and sugar". **(ii) Jute Products:** "Not to be used for packing foodgrains and sugar". (c) Name & Address of the Importer
6.	Imported jute yarn.	(a) "Made in Country of Origin". (b) Name & Address of the Importer on the outside covers.

Jute Commissioner further directs all the importers of jute and jute textiles to abide by the following stipulations:-

(a) Printing shall be made with indelible ink and total Marking/Printing/Branding size shall be at least 2 inches per letter.

(b) In every imported sacking jute bag or cloth of below 25 inches in width, there should be four consecutive RED warp threads at a distance of about 15 cm of the edge and four consecutive GREEN warp threads at a distance of about 30 cm from the edge.

The aforesaid order will come into force from the date of its publication in the Official Gazette and will be valid until further order.

[F. .No. Jute (Mktg.)/160/80-III]

A.MADHUKUMAR REDDY, Jute Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.06.01 11:05:57 +05'30'